



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28052022-236077
CG-DL-E-28052022-236077

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2283]
No. 2283]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 27, 2022/ज्येष्ठ 6, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 27, 2022/JYAISHTHA 6, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2022

का.आ. 2409(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, कलेक्टर ऑफिस महबूबनगर (NH167N) के कि.मी 0.00 से 47.200 तक, तेलंगाना राज्य के 2/4 लेन के पेव्ड शोल्डर सहित चौड़ीकरण में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गाँवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-167N के "ईपीसी मोड पर किमी 0/00 से किमी 60/255 तक महबूबनगर-चिंचोली सेक्शन के 2/4 लेन पेव्ड शोल्डर्स सहित चौड़ीकरण और मजबूती" पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	एडिशनल कलेक्टर(रेवेन्यू) महबूबनगर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH167N के कि.मी. 0 से 47.2 तक	तेलंगाना	महबूबनगर	महबूबनगर (शहरी)	1 पालकोण्डा

[फा. सं. Rev/G3/LANH/0009/2021-G-Section]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2022

S.O. 2409(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed hereto as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk, and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders from Km. 0.0 to Km. 47.200 of Collector office, Mahabubnagar NH-167N) in the State of TELANGANA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH-167N for the work of "Widening and strengthening to 2/4 lane with Paved Shoulders of Mahabubnagar-Chincholi Section from Km. 0/00 to Km. 60/255 on EPC Mode in the State of Telangana".

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Additional Collector(Revenue) Mahabubnagar	0KM To 47.2KM	TELANGANA	MAHABUBNAGAR	Mahabubnagar (Urban)	1 Palakonda

[F. No. Rev/G3/LANH/0009/2021-G-Section]

RAJESH GUPTA, Director